संख्या-221/2023/1736/22-2-2022-17(1515)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामअधार पुत्र श्री केदारनाथ, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामअधार पुत्र श्री केदारनाथ, रायपुर भरखी थाना-कुण्डा प्रतापगढ़ का निवासी है। खेत में जबरदस्ती रास्ता बनवाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 18.03.2000 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर राम सुन्दर व उमाशंकर नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-494/2000 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04 प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 26-02-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 12-08-2021 तक 14 वर्ष 01 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध गम्भीर प्रकृति का होने व समाज को प्रभावित करने बन्दी के जेल से बाहर आने पर उसके द्वारा पुनः अपराध में संलिप्त होने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी हैं तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि खेत में जबरदस्ती रास्ता बनवाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 18.03.2000 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर राम सुन्दर व उमाशंकर नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने पुनः में अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामअधार पुत्र श्री केदार नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामअधार (बन्दी संख्या-487/2010) पुत्र श्री केदारनाथ, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-221/2023/1736(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-221/2023/1736/22-2-2022-17(1515)/2022

दिनांक 15 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामअधार पुत्र श्री केदारनाथ, रायपुर भरखी थाना-कुण्डा प्रतापगढ़ का निवासी है। खेत में जबरदस्ती रास्ता बनवाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 18.03.2000 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर राम सुन्दर व उमाशंकर नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-494/2000 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04 प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 26-02-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 12-08-2021 तक 14 वर्ष 01 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध गम्भीर प्रकृति का होने व समाज को प्रभावित करने बन्दी के जेल से बाहर आने पर उसके द्वारा पुनः अपराध में संलिप्त होने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी हैं तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि खेत में जबरदस्ती रास्ता बनवाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 18.03.2000 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर राम सुन्दर व उमाशंकर नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने पुनः में अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामअधार पुत्र श्री केदार नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।